फा॰ सं॰ 15010-3/2017- रा.भा.ए.

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राजभाषा प्रभाग

****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 13 नवंबर,2017

सेवा में,

मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त निकाय/
शैक्षिक संस्थान/ विश्वविद्यालय के प्रमुख

विषय: समस्त विज्ञापनों में संस्थान का नाम व पता द्विभाषी रूप में छपवाए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

यह देखने में आया है कि मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों/ स्वायत्त निकायों/ शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा समाचार-पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापनों में अंग्रेजी में प्रकाशित विज्ञापन में नाम व पता अंग्रेजी में तथा हिंदी में प्रकाशित विज्ञापन में नाम व पता हिंदी में होता है, जो कि मानक स्थिति नहीं है।

उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम 11(3) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर कार्यालय का नाम हिंदी व अंग्रेजी में लिखा जाएगा। परंतु, यह देखने मे आया है कि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों द्वारा विज्ञापन देते समय उस पर कार्यालय का नाम व पता द्विभाषी रूप में नहीं छपवाया जाता, जो नियमानुकूल नहीं है। सभी कार्यालय कृपया यह सुनिश्चित करें कि हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों में कार्यालय का नाम व पता द्विभाषी रूप में छपवाया जाए।

भवदीया,

(सुनीति शर्मा)
निदेशक(रा.भा.)
दूरभाष:011-23380429

प्रतिलिपि -:

1. परामर्शदाता (शिका.), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II भवन, बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली को उनके दिनांक 09.08.2017 के पत्र सं॰ 12019/01/2017-रा.भा.(शिका.)/ निक्षेपित-6 के संदर्भ मे सूचनार्थ।

2. डॉ॰ कैलाश नाथ पाण्डेय, महामंत्री, अखिल भारतीय प्रतिष्ठापन मंच, केंद्रीय कार्यालय 6/12बी, बंद रोड, इलाहाबाद- 211002 को उनके दिनांक 20.07.2017 के पत्र सं.45/2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।

160